



उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि०

(उत्तराखण्ड सरकार का उपक्रम)

Uttarakhand Power Corporation Ltd.

(A. Govt. of Uttarakhand Undertaking)

CIN : U40109UR2001SGC025867

Email ID: edhr@upcl.org, Website: www.upcl.org

पत्रांक. 4475 -अधि०निदे०(मा०सं०)/उपाकालि/(S-IV)/संविदा

दिनांक : 19/09/26

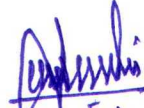
मुख्य अभियन्ता (वितरण)/जानपद
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि०,
गढ़वाल/कुमाऊ/हरिद्वार/रूद्रपुर क्षेत्र,

अति आवश्यक

विषय- उपनल के माध्यम से कार्ययोजित कर्मिकों के सम्बन्ध में।

कृपया उपरोक्त विषयक सचिव, सैनिक कल्याण अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून के पत्रांक 432509/XVII-C-1 ई-99423/2026 दिनांक 17 सितम्बर, 2026 की छायाप्रति आपको इस आशय से प्रेषित की जा रही है कि शासनादेश का अनुपालन करवाना सुनिश्चित करें।

संलग्नक: यथोपरि।


(डॉ० आर० जे० मलिक)
अधिशाली निदेशक (मा०सं०)

प्रतिलिपि :-

1. स्टाफ ऑफिसर स्तर-1, प्रबन्ध निदेशक, उपाकालि, वि०क्रा०वि० गबर सिंह ऊर्जा भवन, देहरादून।
2. निजी सचिव, समस्त निदेशक, उपाकालि, वि०क्रा०वि०ग० सिंह ऊर्जा भवन, देहरादून।
3. अधिशाली अभियन्ता (सूचना प्रौद्योगिकी), उपाकालि, वि०क्रा०वि० गबर सिंह ऊर्जा भवन, देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि पत्र को कारपोरेशन की विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करवाना सुनिश्चित करें।

संलग्नक: यथोपरि।

प्रेषक,

युगल किशोर पन्त,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

- 1- समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/
सचिव/प्रभारी सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
- 2- मण्डलायुक्त गढ़वाल एवं कुमाऊँ, उत्तराखण्ड।
- 3- समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
- 4- समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष उत्तराखण्ड।

सैनिक कल्याण अनुभाग

देहरादून: दिनांक: 17 सितम्बर, 2026

विषय:- उपनल के माध्यम से कार्ययोजित कार्मिकों के संबंध में।
महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक इस विभाग के शासनादेश संख्या-1/416803/XVII-C-1/2026, दिनांक 28 जुलाई, 2026 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा जनहित याचिका संख्या 116/2018 कुन्दन सिंह बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य में मा0 उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड नैनीताल द्वारा पारित निर्णय के अनुपालन में सैनिक कल्याण विभाग उत्तराखण्ड शासन के आदेश संख्या: 367134/XVII-C-1/2026 दिनांक 03.02.2026 के क्रम में राज्यान्तर्गत विभिन्न विभागों में उपनल के माध्यम से कार्ययोजित कार्मिकों एवं संबंधित मूल नियोक्ता विभागों के मध्य अनुबंध सम्पादित करने/न करने वाले कार्मिकों की सूचना निर्धारित प्रारूप पर उपलब्ध कराये जाने के निर्देश प्रदान किये गये थे।

2- उक्त के अनुक्रम में राज्यान्तर्गत विभिन्न विभागों में उपनल के माध्यम से कार्ययोजित पात्र उपनल कार्मिकों के अनुबंध संपादित करने संबंधी विवरण/सूचना प्राप्त हो रही हैं। उक्त के साथ ही शासन के संज्ञान में आया है कि कतिपय विभागों द्वारा पात्र (वेतनमान का न्यूनतम महँगाई भत्ता सहित) उपनल कार्मिकों के अनुबंध पत्र हस्ताक्षरित न किये जाने की दशा में उक्त कार्मिकों का वेतन आहरण नहीं किये जाने संबंधी आदेश निर्गत किये जा रहे हैं जोकि उचित नहीं है। इस संबंध में स्पष्ट करना है कि अनुबंध संपादित न करने वाले उपनल कार्मिकों को पूर्व अनुमन्य वेतन/मानदेय के भुगतान के संबंध में पूर्व निर्धारित व्यवस्था (उपनल के माध्यम से) यथावत लागू रहेगी।

अतः इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि, कृपया सैनिक कल्याण विभाग उत्तराखण्ड शासन के उपरोक्त शासनादेश दिनांक 03.02.2026 के अनुक्रम में प्रस्तर-02 के अनुसार प्रकरण में अग्रेत्तर कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय
Digitally signed by
YUGAL KISHORE PANT
(मातृ: 113099423) 26
16:25